

धारा-107 दं०प्र०सं०
सत्र/2018

मध्यस्थता सं०-
आदेश फलक
वाद संख्या-

31/01/8

.....
.....
.....

बनाम

.....
.....
.....

08/12/2018

न्यायालय-अनुमंडल दण्डाधिकारी, छतरपुर।

आदेश एवं न्यायालय का हस्ताक्षर

अभिलेख उपस्थापित, अवलोकन
किया। उभय पक्ष लगातार
अनुपस्थित। इससे प्रतीत होता है
कि इस वाद में उभय पक्ष के बीच
कोई विवाद नहीं है। शांति भंग होने
की सूचना अप्राप्त।

अतः इस वाद को राष्ट्रीय
लोक अदालत के माध्यम से अग्रेतर
कार्रवाई समाप्त की जाती है।

सदस्य
8/12/18

सदस्य
8/12/18

